भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN BD 086416

यह प्रमाणित किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एजुकेशनल फाउंडेशन, अलवर एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अंतर्गत दिनांक 13.11.2002 को पृष्ठ संख्या 93 के क्रम संख्या 4573 पर उप पंजीयक, अलवर द्वारा पंजीबद्ध किया गया।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अलवर वृत्त-I

नोटाचह स्टाम्प रूपया ...100...
नं० ...1830 दिनांक ...27.6.21
के साथ संलग्न किया गया।

उप महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
अलवर (राज)

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

1000Rs.

INDIA NON JU[DICIAL]

२000रू. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

-ट्रस्ट डीड-

वासुदेवाय नमः

ट्रस्ट डीड मुबलिग 11000/- स्टाम्प फीस मुबलिग 1,210/-

स्वकथन --

भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे भौतिक, सुख-सुविधा के रूप में सब कुछ उपलब्ध है एवं सभी प्रकार से साधन सम्पन्न हूं। मेरे मन में सदैव से समस्त प्राणियों, मानव, समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने तथा नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रसार-प्रचार करने के भाव रहे हैं। मैं सत्य, अहिंसा, धर्म, विधि, नीति एवं आध्यात्मिकता के प्रति सदैव श्रद्धावान रही हूं। भगवान श्री कृष्ण एवं गीता में उल्लेखित ~~उद्देश्य~~ उपदेशों में मेरी अटूट श्रद्धा है। अब मेरी यह तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई है कि इन उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से शिक्षा हेतु रचनात्मक कार्य करूं। अतः भगवान श्री कृष्ण की पावन स्मृति में मैं एक ट्रस्ट का गठन करती हूं जिसके माध्यम से जनसाधारण के लिये शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य कल्याण कार्य किया जा सकें तथा समस्त जीवों के हितार्थ भगवान श्रीकृष्ण के संदेश का प्रचार-प्रसार कर सकूं।

मैं श्रीमती भूमेश यादव पुत्री श्री ठाकुर सिंह यादव हाल निवासी डी-187, हसनखां मेवात नगर, अलवर अपने उपरोक्त पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आज दिनांक 11-11-02 को जन कल्याण हेतु एक धर्मार्थ (चैरिटेबल) ट्रस्ट का गठन (निर्माण) करती हूं:-

B Yadav

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned with CamScanner

क्रमांक 2552 पुस्त. 1 खण्ड ... जिल्द ... पृष्ठ ... दिनांक 11-11-02

1000 = 1000
1000 = 200
100 = 10
1210

पंजीकृत

11-11-02

आज दिनांक 11-11-02 को समय 4 से 5 के मध्य श्रीमती सुमेरा यादव पत्नी ठाकुर सिंह यादव जाति अहीर व्यापार निवासी 2 बी 28 गोकुल ... ... अलवर के द्वारा ... समक्ष प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक

अलवर (राज0)

रसीद सं0 5644 दिनांक 11/11/02

पंजीयन शुल्क 110

प्रतिलिपि शुल्क 50

... 10

कुल ...

176

उप पंजीयक, अलवर

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

100 Rs.

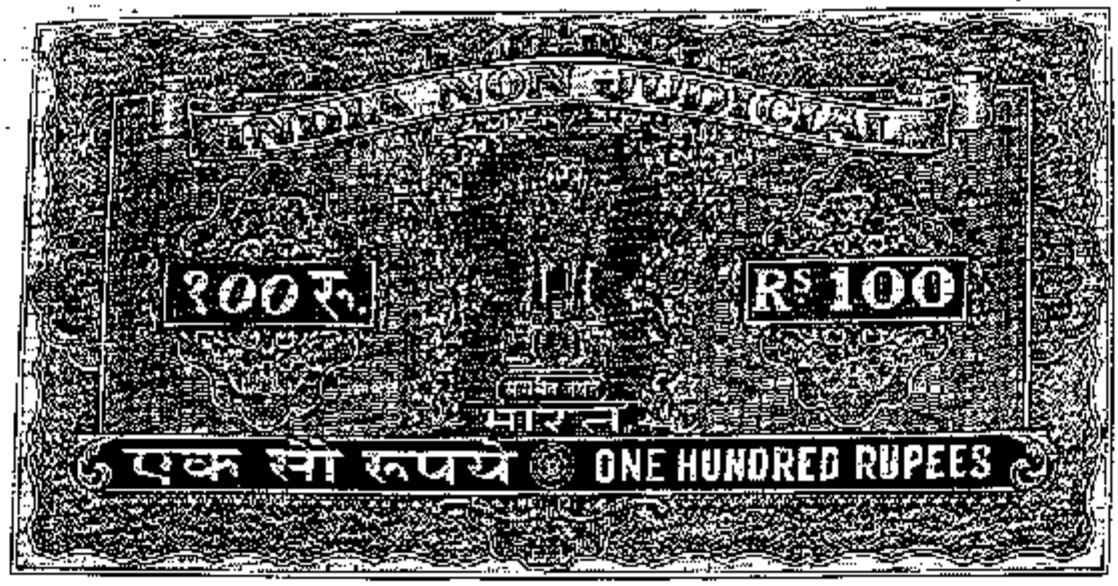

राजस्थान

1. <u>ट्रस्ट का नाम:</u> इस ट्रस्ट का नाम 'भगवान श्रीकृष्ण एजूकेशनल फाउन्डेशन' अलवर होगा, जिसे आगे ट्रस्ट के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. <u>ट्रस्ट का कार्यालय:</u> ट्रस्ट का कार्यालय डी-187, हसनखां मेवातनगर, अलवर में स्थित है। पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क हेतु ट्रस्ट का संचालन यहीं से होगा। भविष्य में ट्रस्ट का अपना भवन निर्मित हो जाने पर कार्यालय वहाँ स्थानान्तरित किया जा सकता है।

3. <u>ट्रस्ट का क्षेत्राधिकार:</u> ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

4. <u>प्रारम्भ तिथि:</u> ट्रस्ट के प्रारम्भ होने की तिथि 11-11-2002 है।

5. <u>ट्रस्ट के उद्देश्य:</u> इस ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. सर्व धर्म समभाव के सिद्धान्त के अनुसार सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों के लिए कल्याणकारी कार्य करना।
2. सभी वर्गों, धर्मों, जातियों एवं समुदायों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार स्कूल/कालेज/ संस्थान खोलना।
3. नवीन व आधुनिक विधाओं के माध्यम से सभी वर्गों के लिए व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान खोलना एवं उन्हें चलाना, जिसमें विधि, चिकित्सा, प्रबन्ध शिक्षा एवं शोध को प्राथमिकता मिले।

Madan

Principal
Delhi World Public School
Alwar

Scanned by CamScanner

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

100 Rs.

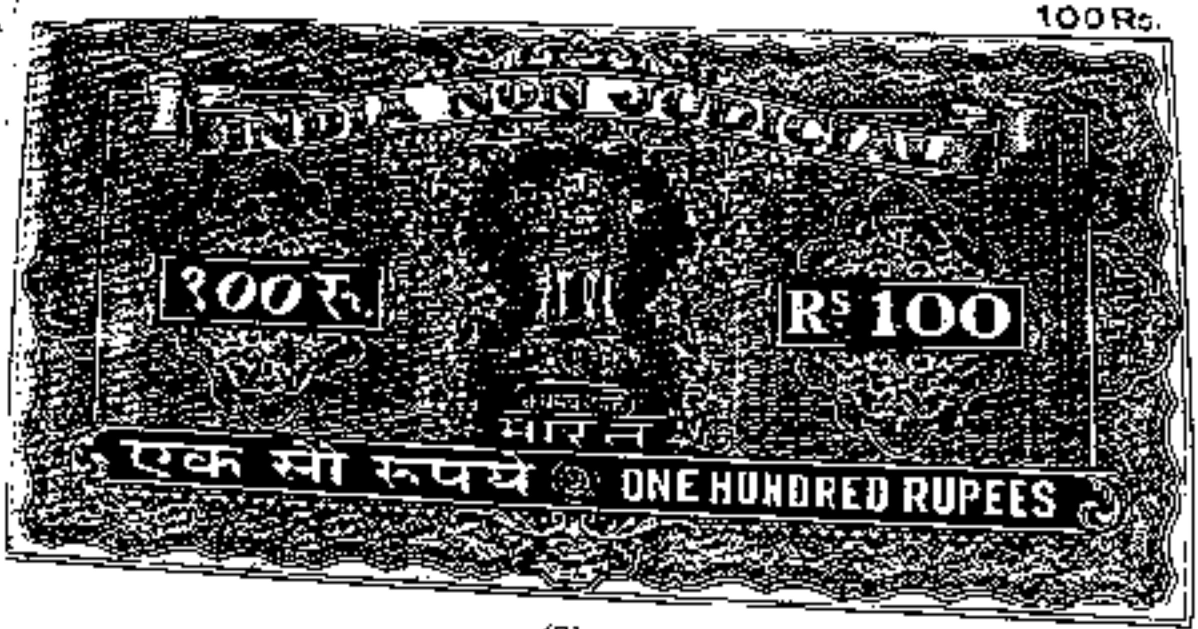

राजस्थान

4. कमजोर वर्ग एवं गरीब पिछडे मेधावी छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति देना एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था करना।

5. राष्ट्र एवं समाज की उन्नति हेतु देशभक्ति एकता, अखण्डता, भाईचारे, सदाचार, परोपकार, नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं आत्मनिर्भरता का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना एवं उन्हें लोकतन्त्र, भारतीय संविधान व कानून के शासन की रक्षा हेतु प्रशिक्षित करना।

6. समाज में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, विकलांगों एवं महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखने के लिये प्रेरणा देना तथा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की इन वर्गों की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं उनसे इन वर्गों को लाभान्वित कराना।

7. भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गीता में दिये संदेश के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा जनहित एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना।

8. पर्यावरण, वन्य जीव, उद्योग, पर्यटन, भूमण्डलीकरण आदि के प्रति नागरिकों को प्रेरित करना तथा साक्षरता व विधिक शिक्षा के जरिए उन्हें जागरूक बनाना।

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

क्रमांक 2552 मूल्य 100 दिनांक 11-11-02
नाम श्रीमती सुदेश यादव पत्नी श्री ठाकुर सिंह
जाति अहीर निवासी अलवर
वास्ते स्टाम्प पत्र विक्रेता सुनीता यादव
स्वयं
ह० विक्रेता

आज दिनांक 13-11-02
पुस्तक सं० I जिल्द सं० 622
के पृष्ठ सं० 92 क्रमांक सं० 4522
पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक की जिल्द सं० 1564
के पृष्ठ 123 से 132
तक चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, अलवर

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned with CamScanner

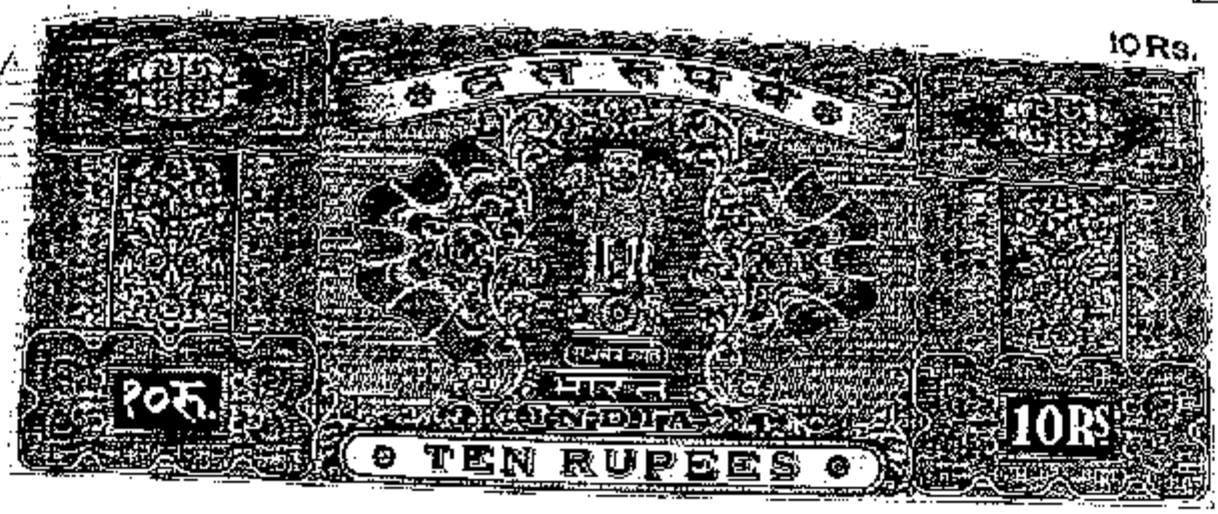

(4)

9. ट्रस्ट द्वारा खोले जाने वाली संस्थाओं के प्रबंध के लिए कार्यकारिणी / प्रबन्ध समिति बनाना एवं योग्य विद्वान व्यक्तियों को इनका सदस्य नियुक्त करना।

10. ट्रस्ट की संस्थाओं के लिए योग्य, बुद्धिमान, चरित्रवान व्यक्तियों को प्रोफेसर, अध्यापक, प्राचार्य, निदेशक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त करना और विद्यार्थियों के लिये उचित शिक्षा व्यवस्था करना तथा सेमीनार आदि के जरिए उनका बौद्धिक विकास करना।

11. विद्यार्थियों के लिए आवास व्यवस्था हेतु छात्रावास बनाना एवं चलाना।

12. सदस्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना एवं उनका विकास करना।

13. विश्व शान्ति के लिए धार्मिक एवं सामाजिक कार्य, अनुष्ठान एवं सम्मेलन आयोजित करना।

14. जनकल्याण एवं विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए समय-समय पर कल्याणकारी योजनाऐं बनाना एवं अन्य ट्रस्टों व संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं उनका सहयोग लेना।

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज.)

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

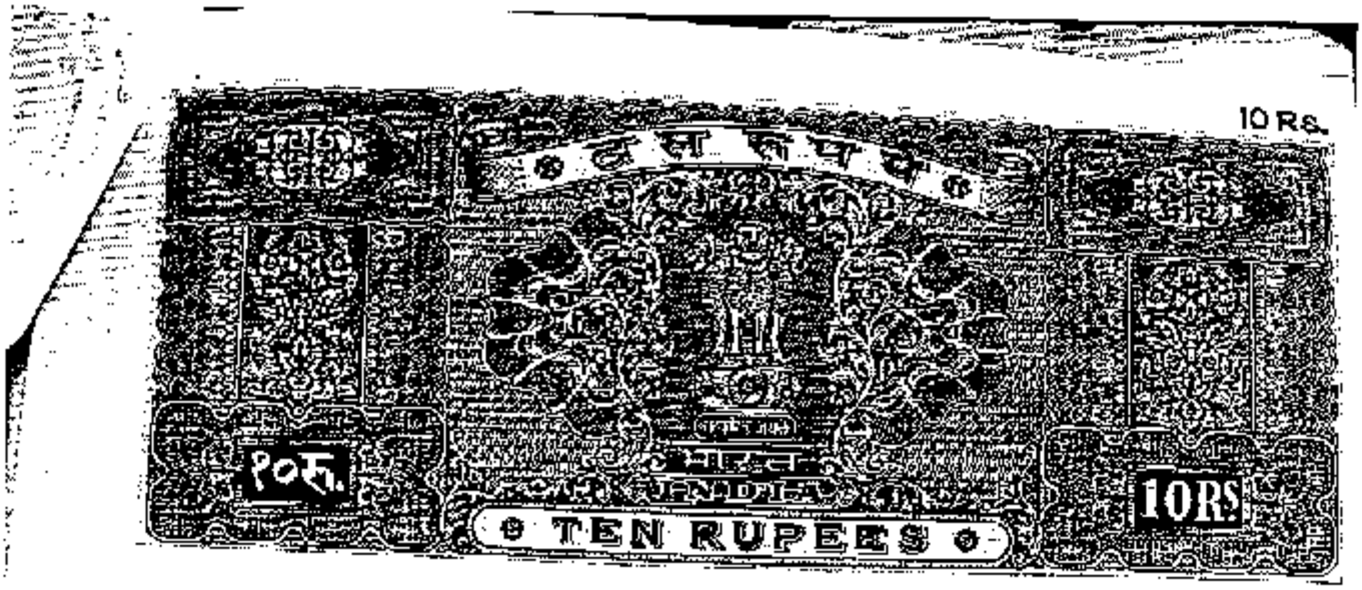

(4)

9. ट्रस्ट द्वारा खोले जाने वाली संस्थाओं के प्रबंध के लिए कार्यकारिणी / प्रबन्ध समिति बनाना एवं योग्य विद्वान व्यक्तियों को इनका सदस्य नियुक्त करना।

10. ट्रस्ट की संस्थाओं के लिए योग्य, बुद्धिमान, चरित्रवान व्यक्तियों को प्रोफेसर, अध्यापक, प्राचार्य, निदेशक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त करना और विद्यार्थियों के लिये उचित शिक्षा व्यवस्था करना तथा सेमीनार आदि के जरिए उनका बौद्धिक विकास करना।

11. विद्यार्थियों के लिए आवास व्यवस्था हेतु छात्रावास बनाना एवं चलाना।

12. बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं बनाना एवं उनका विकास करना।

13. विश्व शन्ति के लिए धार्मिक एवं सामाजिक कार्य, अनुष्ठान एवं सम्मेलन आयोजित करना।

14. जनकल्याण एवं विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए समय-समय पर कल्याणकारी योजनाऐं बनाना एवं अन्य ट्रस्टों व संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं उनका सहयोग लेना।

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज.)

Yadav
Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

10. खिल्ली मल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन, आयु करीब 52वर्ष, 2 विकास पथ, अलवर। - ट्रस्टी

7. ट्रस्ट बोर्ड एवं ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्त्तव्य:

1. वर्तमान में ट्रस्टीगण की संख्या 10 है। इसमें तीन प्रकार के ट्रस्टी रहेंगे:-

अ. संरक्षक ब. आजीवन ट्रस्टी स. ट्रस्टी

(अ) संरक्षक:-जो कोई व्यक्ति ट्रस्ट को एक लाख रूपये का दान देगा या अधिक की सहायता दिलायेगा अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति जो ट्रस्ट की उपयोगी सेवा करेगा, ट्रस्ट का संरक्षक बनाया जाएगा। ऐसे संरक्षक ट्रस्टी को ट्रस्ट की सधारण सभा में आमंत्रित किया जा सकेगा। इन्हें प्रत्येक बैठक में आमंत्रित करना जरूरी नहीं होगा। इन्हे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे सदस्यों की संख्या /सदस्यता असीमित होगी। संरक्षक ट्रस्टियों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर ट्रस्ट विचार करके यथोचित कार्यवाही करेगा।

(ब) आजीवन ट्रस्टी:-मुख्य आजीवन ट्रस्टी जीवन पर्यन्त बने रहेंगे। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। आजीवन ट्रस्टी भी जीवनपर्यन्त बने रहेंगे, लेकिन त्याग पत्र देने पर या मृत्यु के पश्चात नए आजीवन ट्रस्टी को मुख्य ट्रस्टी नियुक्त कर सकेंगे। जो कोई रू०51,000/-रूपये का दान ट्रस्ट को देगा या दिलायेगा अथवा ट्रस्ट की उपयोगी सेवा के साथ रू० 11,000/-रूपये की सहायता करेगा आजीवन ट्रस्टी बनने के लिये आवेदन कर सकेगा, जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा।

(स) ट्रस्टी:-जो कोई रू० 21,000/- का दान ट्रस्ट को देगा या दिलायेगा अथवा किसी भी उपयोगी सेवा के साथ रूपये 5100/- से ट्रस्ट की सहायता करेगा, ट्रस्टी बनने के लिये आवेदन कर सकेगा जिसे स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकेगा। ये ट्रस्टी ट्रस्ट के संचालन में हर प्रकार से सहयोग करेंगे।

2. नये ट्रस्टीगण रखने, नियुक्त करने का अधिकार तथा वर्तमान ट्रस्टीगण को हटाने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

3. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की मीटिंग बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा, मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में मुख्य ट्रस्टी जिसको निर्देश देंगे वो ही ट्रस्ट की

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज०)

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष करेंगे।

4. मैं [illegible] मुख्य ट्रस्टी को [illegible] एवं आजीवन मुख्य ट्रस्टी रहूँगा। मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे परिवार में से मुख्य ट्रस्टी तथा आजीवन ट्रस्टियों का नियुक्त किया जायेगा।

5. ट्रस्टी की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास ही रहेगा। सामान्य ट्रस्टी का कार्यकाल कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम [illegible] वर्ष होगा।

8. <u>मुख्य आजीवन ट्रस्टी:</u>

1. ट्रस्ट के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. ट्रस्ट के समस्त [illegible] इत्यादि कार्यों को स्वयं अपने हस्ताक्षर से करेंगे।
3. आजीवन ट्रस्टी तथा सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।
4. कोषाध्यक्ष को निर्देश देकर [illegible] ट्रस्ट का [illegible] आय-व्यय का लेखा जोखा रखेंगे व [illegible] करवायेंगे।
5. ट्रस्ट की समस्त [illegible] को [illegible] करेंगे व करवायेंगे।
6. ट्रस्ट की ओर से धन लेने व देने का समस्त कार्य करेंगे।
7. ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे व मीटिंग बुलाने का आदेश भी देंगे।
8. ट्रस्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा निलम्बन [illegible] करने का अधिकार भी इन्हें होगा।
9. ट्रस्ट की [illegible] सम्पत्ति किराये पर प्राप्त कर सकेंगे व किराये पर दे सकेंगे। इन्हें सम्पत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार भी होगा।

9. **<u>ट्रस्ट की सदस्यता</u>**: ट्रस्ट की सदस्यता उसी व्यक्ति को दी जायेगी जो ट्रस्ट के उद्देश्यों में निष्ठा रखता हो तथा [illegible] हो।

1. ट्रस्ट की [illegible]

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

उप पंजीयक
[illegible]

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

के विद्वानों, विदुषियों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों में से की जायेगी।

2. आजीवन ट्रस्टी मेरे परिवार का आवश्यक रूप से रहेंगे। अन्य को भी आजीवन ट्रस्टी या ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। अनिवासी भारतीय को ट्रस्टी बनाये जाने पर वह अपने नोमिनी को मीटिंग में भेज सकेगा।

10. **ट्रस्ट की सदस्यता समाप्ति:** -

निम्न परिस्थितियों में ट्रस्ट की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी:-

क) मृत्यु हो जाने पर।

ख) त्याग पत्र दिये जाने पर।

ग) मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी कारणवश हटाये जाने पर।

घ) ट्रस्ट के कार्यों में रूचि न लेने पर ।

ङ) ट्रस्ट की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित न होने के कारण ।

मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण पद रिक्त होने पर बचे हुए समय के लिये उसके वैध उत्तराधिकारी को ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकेगा।

11. **ट्रस्ट का संचालन:**

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने एवं सुचारू संचालन चलाने के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं के संचालन हेतु गवर्निंग कौंसिल (प्रबन्ध समिति) बनाई जायेगी जो ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्य करेगी। नियम बनने तक तदर्थ समिति गठित की जा सकेगी। प्रथम तदर्थ समिति में मुख्य ट्रस्टी अर्थात मेरे अलावा आजीवन ट्रस्टी संदीप यादव सचिव का कार्य करेगा। ट्रस्ट के नियम एवं उपनियम बनाने एवं वर्तमान नियमों एवं उपनियमों में संशोधन करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

2. ट्रस्ट की सम्पूर्ण कार्यवाही लिखित में होगी। कार्यवाही लिखने के लिये एक कार्यवाही रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा लिये गये सभी निर्णय दर्ज किये जायेंगे।

3. ट्रस्ट में एक सचिव नियुक्त किया जायेगा। यह सचिव ही कार्यवाही रजिस्टर लिखेगा और मुख्य आजीवन ट्रस्टी के आदेश से ट्रस्ट की मीटिंग बुलायेगा। यदि ट्रस्ट उपयुक्त समझे तो सचिव को पारिश्रमिक भी दिया जायेगा। सचिव मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार ही कार्य करेगा। सचिव के ठीक कार्य

Principal
Delhi World Public School

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

न करने पर मुख्य आजीवन ट्रस्टी किसी भी समय सचिव को निलंबित कर सकेगा तथा नया सचिव नियुक्त कर सकेगा।

4. ट्रस्ट को प्राप्त राशि, वस्तुएँ जमीन जायदाद एवं ट्रस्ट द्वारा किये गये खर्चों का हिसाब-किताब रखा जायेगा। ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा में वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत कर पारित करवाया जायेगा।

5. ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट, सरकार कम्पनी अथवा संस्थाओं से अनुदान, सहयोग, मकान, जमीन, जायदाद, धनराशि, उपहार, स्वर्ण मुद्राएँ दान स्वरूप प्राप्त कर सकेगा जिसका समस्त हिसाब-किताब अपनी लेखा बहियो में अंकित करना होगा व रसीद दी जायेगी।

6. इसी प्रकार ट्रस्ट प्राप्त धन राशि, जमीन, उपहार इत्यादि को जन कल्याणकारी कार्यों में एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों हेतु खर्च कर सकेगा व अन्य व्यक्ति संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को दान में दे सकेगा।

7. ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक कर्मचारी मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किये जायेंगेऔर समय-समय पर हटाये जायेंगें। जमीन जायदाद या जन कल्याण के लिये कोई भी जायदाद किराये पर लेना व देना मुख्य ट्रस्टी कर सकेगा। ट्रस्ट को भूमि खरीदने अथवा दान, अनुदान में लेने का अधिकार भी होगा।

8. समस्त बिलों का भुगतान मुख्य ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा पास कर दिये जाने के पश्चात् ही होगा। सचिव बिलों के भुगतान की व्यवस्था देखेगा।

9. ट्रस्ट की ओर से की जाने वाली कानूनी कार्यवाही अथवा ट्रस्ट पर की गई समस्त कानूनी कार्यवाही मुख्य आजीवन ट्रस्टी या उसके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी या सचिव के हस्ताक्षरों से की जावेगी। इस प्रकार मुख्य ट्रस्टी या सचिव पूरे ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इसके अलावा भी अन्य जो भी कार्य होंगे उन सभी को भी मुख्य ट्रस्टी या सचिव अपने हस्ताक्षरों से निपटायेगें। इसमें प्रत्येक ट्रस्टी को पक्षकार बनाये जाना अथवा प्रत्येक ट्रस्टी के हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं होगा।

12. **<u>मीटिंग :</u>**

1. ट्रस्ट की साधारण सभा की मीटिंग वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज०)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

रूप से करना अनिवार्य होगा।

2. ट्रस्ट की मीटिंग मुख्य ट्रस्टी के आदेश पर सचिव द्वारा बुलाई जायेगी और कम से कम तीन दिवस की लिखित सूचना देना आवश्यक होगा।

3. ट्रस्ट की मीटिंग का कोरम 1/3 होगा।

4. ट्रस्ट द्वारा समस्त निर्णय यथा संभव सर्वसम्मति से किये जायेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय न होने की स्थिति में बहुमत द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा इसके लिए सभी ट्रस्टी बाध्य होंगे। किसी विषय पर बराबर मत आने पर मुख्य ट्रस्टी को कास्टिंग वोट देने का भी हक होगा।

13. <u>वित्तीय वर्ष :</u> ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

14. <u>लेखा एवं आडिट :</u> ट्रस्ट के द्वारा उपयुक्त खाते रखे जायेंगे और प्रतिवर्ष उनका अंकेक्षण कराया जायेगा एवं मुख्य आजीवन ट्रस्टी आडिटर की नियुक्ति करने के लिये सक्षम होंगे।

15. <u>ट्रस्ट की पूंजी एवं साधन:</u>

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक पूंजी एवं साधनों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ट्रस्टीगण की होगी।

2. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की आय-व्यय संबंधित समस्त निर्णय लेंगें। ट्रस्ट के अंतर्गत जो संस्थाएँ स्थापित होंगी, उनका आय-व्यय का हिसाब अलग रखा जायेगा। प्रत्येक संस्था अपनी आय का 10% हिस्सा ट्रस्ट को देगी।

3. ट्रस्ट भारतवर्ष से ही नहीं अपितु विदेश से भी समस्त प्रकार की दानराशि, अनुदान, सहयोग, मकान, भूमि जायदाद, उपहार इत्यादि अन्य सभी वस्तुएँ दान में प्राप्त कर सकेगा, जिसमें प्राप्त राशि की रसीद जारी की जायेगी व हिसाब रखा जायेगा।

4. यह ट्रस्ट बैंक, संस्था, ट्रस्टियों, व्यक्तियों, या फर्मों से कर्जा भी ले सकेगा।

16. <u>ट्रस्ट का बैंक खाता एवं उसका संचालन :</u>

1. ट्रस्ट डीड के रजिस्ट्रेशन होने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर ट्रस्ट के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा। रूपये 11,000/- अक्षिरे ग्यारह हजार रूपये मात्र मुख्य ट्रस्टी सरकारा सहित श्रीमती मुकेश यादव द्वारा बैंक में

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज.)

Principal
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner

जमा कराने पर खाता खोला जायेगा।

2. बैंक खाता मुख्य ट्रस्टी श्रीमती भुमेश यादव एवं संकेत यादव आजीवन ट्रस्टी के हस्ताक्षरों से खोला जायेगा।

3. बैंक में राशि जमा कराने निकलवाने यानि बैंक खातों का संचालन करने का अधिकार उपरोक्त दोनों ट्रस्टीयों को होगा। इन दोनो में से किसी भी एक के हस्ताक्षर से बैंक से राशि निकलवाने व जमा कराने का अधिकार होगा।

17. <u>ट्रस्ट डीड में संशोधनः</u> यदि आवश्यक हो तो 15 दिवस के नोटिस पर मीटिंग बुलाकर दो तिहाई बहुमत के रिजोलुशन से ट्रस्ट डीड में कोई संशोधन किया जा सकता है।

18. <u>समापनः</u> यदि बोर्ड आफ ट्रस्टीज 21 दिवस के नोटिस पर मीटिंग बुलाकर 3/4 के बहुमत से रिजोलुशन पास कर आवश्यक समझे तो ट्रस्ट की गतिविधियां समाप्त की जा सकती हैं। समापन की स्थिति में ट्रस्ट सम्पत्ति ट्रस्टियों में नहीं बांटी जायेगी और समान उद्देश्य वाले किसी ट्रस्ट, समिति, संस्थान अथवा संगठन को दी जायेगी या वर्तमान ट्रस्ट को समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट में मिला दिया जायेगा। वर्तमान ट्रस्ट की समस्त पूंजी एवं दायित्व उत्तराधिकारी ट्रस्ट, समिति, संस्थान अथवा संगठन को स्थानान्तरित माने जायेंगे।

19. यह ट्रस्ट एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा एवं भारत के केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होगा जिसमें आय कर अधिनियम, 1961 भी सम्मिलित होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट में शामिल किये गये ट्रस्टीगण से सहमति प्राप्त कर ली गई है। पंजीयन शुल्क हेतु इस ट्रस्ट डीड की मालियत रुपये 11,000/- रु० मात्र आंकी जाती है।

आज दिनांक 11/11/02 को मैंने अपने पूर्ण होश हवास के साथ उपरोक्त ट्रस्ट डीड को पढ़कर सुन व समझ कर हस्ताक्षर कर लिये हैं।

गवाह : हस्ताक्षर मुख्य आजीवन ट्रस्टी

1. K. M. Jain, Advocate, Alwar 1. Byadav (भुमेश यादव)

2. [illegible]

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
अलवर (राज०)

Principal
Delhi World Public School

School Manager
Delhi World Public School
Alwar (Rajasthan)

Scanned by CamScanner